पंचायत निगरानी संख्या : 198/2024
उनवान : भलाराम बनाम विनोद कुमार अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 198/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/211

प्रार्थी :–

भलाराम पुत्र श्री रताराम जाति सीरवी निवासी गुड़ा पृथ्वीराज, तहसील देसूरी, जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. विनोद कुमार पुत्र श्री मेघाराम, जाति मेघवाल निवासी गुड़ा पृथ्वीराज, तहसील देसूरी जिला पाली राज.
2. ग्राम पंचायत कोटड़ी, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कोटड़ी तहसील देसूरी जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 18.11.2019 प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 के जरिये जारी किया उस प्रस्ताव व पट्टे को निरस्त करने बाबत्।

उपस्थितिः– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।
अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्रीपाल मेघवाल।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णयः–

दिनांकः 04.06.2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत पेश कर **ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 18.11.2019 प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 के जरिये जारी किया उस प्रस्ताव व पट्टे को निरस्त करने बाबत्** निवेदन किया गया। प्रार्थी की निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया।

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी करना बताया गया है वह भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं थी बल्कि जिस जगह पट्टा जारी करना बताया गया है वह भूमि खातेदारी कृषि भूमि है जो खसरा नम्बर 41 की बारानी भूमि है। इस प्रकार ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा कृषि भूमि में अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पट्टा जारी किया है जो कानूनन निरस्त योग्य है।

अधीनस्थ ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी करने हेतु किसी भी कानूनी प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है अर्थात पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियमों की कोई पालना नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार का कोई आवेदन अधीनस्थ पंचायत में प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी

अति. जिला कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 198/2024
उनवान : भलाराम बनाम विनोद कुमार अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

संख्या 01 द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं करने से बिना आवेदन बिना मांग के कोई पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था।

अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने हेतु किसी प्रकार का आवेदन शूल्क, नक्शा शुल्क एवं अन्य कोई शुल्क जमा नहीं किया एवं आदेशिका जो प्रिटेंड जारी करना प्रकट की गई उसमें किसी भी आदेशिका में कोई दिनांक अंकित नहीं है एवं किसी भी आदेशिका पर सरपंच के हस्ताक्षर भी नहीं है, ऐसी स्थिति में जब किसी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया तो उसकी पालना में कोई पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जो आदेशिका जारी करना प्रकट की गई है वह आदेशिका पूर्ण रुप से प्रिटेंड है एवं केवल मात्र खाली जगह की काले पैन द्वारा कागजी खानापूर्ति की गई है। निरीक्षण प्रपत्र जो बताया गया है जिस पर भी सरपंच के कोई हस्ताक्षर नहीं है एवं कौनसी भूमि का निरीक्षण किया गया उसके भी कोई आस–पडौस एवं नाप चौक अंकित नहीं है। नक्शा पर भी नक्शा बनाने वाले एवं सायल के एवं सरपंच के कोई हस्ताक्षर नहीं है। यहां तक जो आपति आमंत्रित करने का नोटिस जारी करना बताया गया है उस पर भी सरपंच के कोई हस्ताक्षर नहीं है एवं किसके समक्ष चस्पानगी किया उसका भी कोई उल्लेख नहीं है। बयान जो फॉर्म प्रिटेंड है जिनमें केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 01 का नाम एवं पडौस लिखे हुए है किसके बयान लिये गये उनके कोई नाम, पते व हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है एवं सरपंच के भी कोई हस्ताक्षर नहीं है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जो पट्टा जारी करना प्रकट किया गया है वह पट्टा वास्तविक रुप से केवल मात्र कागजी खानापूर्ति है लेकिन किसी भी नियम की पालना नहीं की गई है इस कारण भी उक्त पट्टा व प्रस्ताव निरस्त करने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जो पट्टा संख्या 29, पट्टा बुक संख्या 10 के द्वारा जारी करना बताया गया है प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टा की मांग की गई लेकिन उक्त पट्टा बुक व पट्टा अधीनस्थ ग्राम पंचायत कोटडी में मौजुद नहीं होना बताया गया है एवं उक्त पट्टा बुक संबंधी कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत कोटडी में उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में तत्कालीन ग्रामसेवक द्वारा केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 01 से मिलावट करते हुए मात्र कागजी पट्टा जारी किया गया है जो वास्तविक रुप से ग्राम पंचायत कोटडी की किसी भी बैठक में कोरम द्वारा कोई आज्ञा आदेश व प्रस्ताव नहीं लिया गया एवं न ही किसी भी प्रकिया की कोई पालना की गई। यहां तक सरपंच को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि उक्त पट्टा बुक तत्कालीन ग्रामसेवक द्वारा केवल कागजी पट्टा होने से गायब कर दी गई एवं बाद में जांच होने पर केवल प्रिटेंड परफॉर्मा में आदेशिका व अन्य खानापूर्ति की गई है। जिनमें भी किसी भी कागज व आज्ञा पर सरपंच के कोई हस्ताक्षर नहीं है। इस कारण उक्त पट्टा व प्रस्ताव नियमानुसार प्रक्रिया के द्वारा जारी नहीं होने से उक्त पट्टा व प्रस्ताव निरस्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जिस जगह का पट्टा जारी करना बताया गया है उस स्थान पर खातेदारी कृषि भूमि है एवं अप्रार्थी संख्या 01 का कभी भी उक्त पट्टासुदा स्थल पर कब्जा नहीं रहा है न ही वर्तमान में है। वर्तमान में उक्त भूमि खाली व खुली पड़ी है जहां पर लोगो द्वारा गोबर इकट्ठा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बिना कब्जा के अभाव में अप्रार्थी संख्या 01 ने केवल कागजी पट्टा जो किया गया है को निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा जो प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 पारित करना बताया गया है वो भी नियमानुसार पंचायत की कोरम बैठक द्वारा पारित नहीं किया गया है एवं बिना कोरम के अभाव में जारी प्रस्ताव निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा जो पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी करना प्रकट किया गया है वो पट्टा ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में मांग करने पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में उक्त पट्टा बुक चार्ज में नहीं देना व उपलब्ध नहीं होना लिखकर दिया गया, इस कारण उक्त पट्टे की प्रति पेश किया जाना किसी भी रुप में सम्भव नहीं है। प्रार्थी की ओर से पंचायत निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी स्वीकार फरमावें एवं अप्रार्थी

अति. जिला कलक्टर
(पाली)

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 198 / 2024

उनवान : भलाराम बनाम विनोद कुमार अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

संख्या 01 के पक्ष में ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 की पालना में पट्टा संख्या 29 दिनांक 18.11.2019 जो जारी किया गया है उक्त पट्टा व प्रस्ताव नियम विरुद्ध होने से निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थीपक्ष द्वारा निगरानी का प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर कथन किया कि निगरानी याचिका में प्रार्थी द्वारा स्वयं के व्यथित होने के कोई आधार कथित रुप से वर्णित नहीं किए है निगरानी याचिका स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत एवं पट्टाधारी दोने के विरुद्ध, दोनों को आरोपित करते हुए प्रस्तुत की है। व्यक्तिशः अधिकारों के विरुद्ध निगरानी याचिका पोषणीय ही नहीं है। निगरानी याचिका में अप्रार्थी संख्या 01 अनुसूचित जाति के शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को रियायती दर पर पट्टा जारी करने को विवादित किया है जबकि स्वयं प्रार्थी धनाढ़य राजस्थान से बाहर सूरत में निवास एवं व्यवसाय कर रहे व्यक्ति द्वारा बदनियतिपूर्वक प्रस्तुत की है उत्तरदाता अप्रार्थी को आवंटित पट्टे के क्षेत्र में कुल 19 पट्टा भूमियों में से 3 परिसर पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने पर तीसरा, सातवा परिसर एवं आठवा परिसर प्रार्थी के स्वामित्व के है। तीसरे परिसर पर पक्का मकान निर्मित है, छठे परिसर पर लोहे का दरवाजा लगा हुआ पक्का बाउड्रीशुदा निर्माण है। धनाढ़य होने से बदनियतिपूर्वक तंग–परेशान करने के उद्देश्य से ही यह बिना किसी विधिक आधार याचिका प्रस्तुत की है। कुल........ परिसरों में से लगभग 19 परिसर रियायती अथवा निशुल्क रुप से आवंटित परिसर है। प्रार्थी द्वारा तीसरा भूखण्ड वदनों पत्नी मांगीलाल चौधरी को निशुल्क आवंटित खरीद किया है, सातवां परिसर मेधाराम पुत्र थानाजी को निःशुल्क आवंटित को बेचान रुपाराम अमराजी को होने के बाद स्वयं द्वारा क्रय किया है, आठवां परिसर अमराराम पुत्र मनाजी चौधरी से प्रार्थी द्वारा क्रय किया गया है। याचिका के पद संख्या एक में संबंधित स्वामी को बारानी भूमि बताकर विवादित करना चाहा है, जबकि उक्त भूमि में पंचायत द्वारा 20 से अधिक भूखण्ड आवंटन किए गए है तथा वे आवंटन भी 1989 से लगाकर आज तक लगातार किए गए हैं एवं उन्हीं में 3 परिसर प्रार्थी द्वारा क्रय किए गए हैं, जिससे बदनियतिपूर्वक न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे होना स्पष्ट है, जिससे भी याचिका पोषणीय नहीं है। अप्रार्थी संख्या एक को जारी पट्टा ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच के साथ ही गेनाराम, पेमाराम, वीरमदेव एवं मांगीबाई आदि द्वारा हस्ताक्षरित आदि है एवं पंजीयक, देसूरी द्वारा क्रम संख्या 202003193100212 पर दिनांक 03.02.20 को पंजीबद्ध है। पंजीकृत विक्रय–विलेख को रद्द करवाने का क्षेत्राधिकार मात्र व्यवहार न्यायालय को प्राप्त है। सुस्थापित विधि से पंजीकृत पट्टा विलेख के संबंध में पंचायत निगरानी की संक्षिप्त प्रक्रिया का उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। प्रार्थी की याचिका क्षेत्राधिकारविहीन है।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने निगरानी याचिका के जवाब में आगे निवेदन किया किः–

अति. जिला कलक्टर
(पाली)

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 198/2024
उनवान : भलाराम बनाम विनोद कुमार अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

1. पद संख्या 01 में वर्णित कथन गलत है। अप्रार्थी संख्या एक को जारी पट्टा आवादी क्षेत्र की भूमि में ही जारी किया गया है, जिसमें स्वयं प्रार्थी के पट्टे भी है। प्राथमिक आधारों में स्थिति स्पष्ट की गई है। इसके अलावा भी कथित रुप से खसरा नम्बर 41 की भूमि भी ग्राम पंचायत कोटडी के खाते में ही दर्ज है। न तो किसी खातेदारी भूमि में पट्टा जारी किया गया है न ही क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई पट्टा जारी किया गया है। इस पद में वर्णित आधारों से प्रार्थी को निगरानी प्रस्तुति के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। निगरानी खारिज योग्य है।
2. पद संख्या दो में वर्णित कथन गलत है। पूर्ण प्रक्रिया पश्चात् पट्टा जारी किया गया है कौनसी कानूनी प्रक्रिया एवं कौनसे नियम अथवा प्रावधान की पालना नहीं की गई है ऐसा कोई अंकन इस पद में नहीं है, जिससे निरर्थक एवं आधारहीन कथन है।
3. पद संख्या तीन में वर्णित कथन गलत है। दिनांक 16.01.06 को प्रार्थी द्वारा आवेदन ही नहीं प्रस्तुत किया गया, बल्कि आवेदन के साथ 60/– रुपये की राशि जमा करवाई गई। ग्राम पंचायत द्वारा रसीद संख्या 1259 दिनांक 16.01.06 जारी की गई है।
4. पद संख्या चार में वर्णित कथन भी गलत है। 60/– रुपये की उक्त वर्णित राशि में प्रार्थना शुल्क, मौका निरीक्षण शुल्क एवं नक्शा शुल्क की राशि जमा की गई है। आदेशिका में तिथि अंकित नहीं करने के कथन भी गलत है, जबकि दिनांक 16.01.06, 14.02.13, 20.08.13 एव 20.01.14 की आदेशिकाएं तिथियों सहित संधारित है। हर तिथि को पंचायत बैठक में पत्रावली प्रस्तुत हुई है एवं इन्हीं की पालना में पट्टा दिनांक 18.11.19 को जारी कर फिर पंजीबद्ध करवाया गया है। इस पद में आदेशिका पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं होने का गलत कथन किया गया है, जबकि दिनांक 16.01.06 की आदेशिका में तत्कालीन सरपंच छगनी के एवं शेष आदेशिकाओं में तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर है।
5. पद संख्या पांच में वर्णित आधार निराधार है। निरीक्षित भूमि के पड़ौस स्पष्ट रुप से अंकित है एवं सरपंच के हस्ताक्षर युक्त यथानुरुप आवश्यक रहे है। नक्शा नापचौक सहित बना हुआ है। उपरोक्त के अलावा पंचायती कार्यवाही किस तरह की जाएगी और क्या अंकित किया जाएगा, इस पर उत्तरदाता अप्रार्थी का कोई प्रभाव नहीं होता है, न ही ऐसा कोई प्रभाव प्रतिकूल रुप से उत्तरदाता के विपरित हो सकता है।
6. पद संख्या छः में वर्णित कथन गलत है। नक्शे पर नक्शा बनाने वाले तथा सरपंच सभी के हस्ताक्षर है। आपत्तियां आमंत्रित के सूचना–पत्र पर भी सरपंच के हस्ताक्षर है, चस्पानगी की स्पष्ट रिपोर्ट है कोई खानापूर्ति नहीं की गई है, बल्कि पूर्ण प्रक्रिया की पालना की गई है। किसी भी आधार पर पट्टा व प्रस्ताव निरस्त योग्य नहीं है।
7. पद संख्या सात में वर्णित कथन गलत है। प्रार्थी ने मिलावट से ही कोई कार्यवाही की गई होना प्रतीत होता है, जबकि पट्टे की एवं पूरी पत्रावली उपलब्ध रही है। मात्र कपोल–कल्पित आधार बताए गए हैं। सरपंच आदि को पूर्ण जानकारी रही है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 198/2024
उनवान : भलाराम बनाम विनोद कुमार अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

8. पद संख्या आठ में वर्णित कथन सरासर गलत एवं झूठे हैं, जिनका पूर्ण स्पष्टीकरण पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका है। पट्टा स्थल पर उत्तरदाता का कब्जा नहीं होने का कथन सरासर गलत है, जबकि वर्तमान स्थिति में भी प्रार्थी का आधिपत्य है। यहां यह स्थिति स्पष्ट करना उचित है कि उत्तरदाता अप्रार्थी के पैतृक हक–अधिकार, आधिपत्य का परिसर इसी क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर 13 वे परिसर के रुप में स्थित रहा था, जिसके संबंध में तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा स्वामित्व प्रमाण–पत्र दिनांक 15.09.04 को प्रार्थी के पक्ष में तत्कालीन सरपंच वीरमदेव द्वारा जारी किया गया था। तत्पश्चात उक्त परिसर के संबंध में ही पट्टा जारी करवाने हेतु पत्रावली प्राप्त की गइ, परन्तु कतिपय रुप से ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त स्थल का पट्टा एक सुजाराम पुत्र दीपाजी चौधरी के नाम जारी कर दिया, जिससे विवाद की स्थिति पैदा हुई एवं ग्राम पंचायत द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए उस स्थल की बजाय वर्तमान खुली एवं रिक्त स्थान का पट्टा जारी कर सकना बताया एवं इस हेतु प्रार्थी को आश्वस्त किया जिस पर बिना किसी विवाद में पड़ते हुए अपनी दयनीय स्थिति को देखकर प्रार्थी द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिस पर उक्त स्थल के संबंध में कार्यवाही कर पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी ने एकाएक स्वंय की कृषि भूमि का गोबर लाकर यहां डाल दिया एवं अब याचिका प्रस्तुत कर लोगों को गोबर बताया जा रहा है। मात्र कथित रुप से गोबर पड़ा हुआ होने के आधार पर अन्य किसी को कोई आधार पैदा नहीं हो सकता है। गोबर पड़ा होने से क्या विकट स्थितियां पैदा होती है, जिसका समावेश आधार के रुप में नहीं है। ऐसे कथन औचित्यहीन है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

9. पद संख्या 09 में वर्णित कथन आधारहीन एवं गलत है कोई विशेष स्पष्ट कथन नहीं किए गए है, जिससे जवाब दिया जाना संभव नहीं है, न ही न्यायालय के संज्ञान योग्य है।

10. पद संख्या 10 में वर्णित कथन गलत है। पट्टा ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने के कथन भी सरासर गलत एवं झूठे हैं। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कथित रुप से पट्टा बुक चार्ज में नहीं देने एवं उपलब्ध नहीं होना लिखकर किसी प्रभाव के तहत दस्तावेजी साक्ष्य फर्जी रुप से पैदा करने का प्रयास किया गया है, जबकि प्रार्थी को जारी पट्टे पर वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी मोहनलाल चौहान के ही हस्ताक्षर है। अतः प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज फरमाई जावें।

ग्राम पंचायत कोटडी से प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया तथा अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से अन्तिम बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता याचिकाकर्ता ने वक़्त बहस निवेदन किया कि आलोच्य पट्टा ग्राम पंचायत कोटड़ी के खाते में दर्ज खसरा संख्या 41 में स्थित भूखण्ड का जारी किया गया है। उक्त

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 198/2024
उनवान : भलाराम बनाम विनोद कुमार अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

खसरा संख्या 41 आबादी भूमि में न होकर बारानी दायेम किस्म की आबादी भूमि है जो पंचायत की आबादी भूमि खसरा संख्या 41/621 की सीमा पर स्थित है। तथा उक्त गैर आवादी किस्म की भूमि को आवंटित करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। यह भी, कि पट्टे हेतु आवेदन तथा मिसल की किसी भी आज्ञा में दिनांक व सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षरों का अभाव होने से यह साबित हो जाता है कि आलोच्य पट्टा संख्या 29 दिनांक 18.11.2019 तथा तथाकथित प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 तथा पंचायती राज नियम, 1996 के प्रक्रियात्मक प्रावधानों की अवहेलना में मात्र कागजी खानापूर्ति के रुप में जारी किया गया है। अतः आलोच्य पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने अपने जवाबपत्र दिनांक 08.11.2021 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने बदनीयतीपूर्वक उक्त याचिका पेश की है। आलोच्य पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में ही जारी किया गया है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 16.01.2006 को आवेदन पेश किया गया था, जिसकी रसीद संख्या 1259 जारी की गई थी। आदेशिकाओं पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं होने का कथन गलत है। यह भी, कि प्रश्नगत पट्टा अप्रार्थी को रियायती दर पर नियम 158 के अन्तर्गत जारी किया गया है, जो पूर्णतः विधिसम्मत है। अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि आलोच्य पट्टा पंजीबद्ध हो जाने से इसे निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा मिसल संख्या 46/2005–06 का अवलोकन किया गया।

हस्तगत पुनरीक्षण याचिका का विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः–

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी श्री विनोद कुमार के पक्ष में ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 18.11.2019 को चुनौति दी गई है, जो पट्टा मिसल संख्या 46/2005–06 में पंचायत संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 के अनुसरण में जारी किया गया है। यद्यपि आलोच्य पट्टे की प्रमाणित प्रति ग्राम पंचायत के मूल रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी द्वारा संलग्न प्रस्तुत नहीं की गई। अप्रार्थी एवं पट्टाधारी ने भी उक्त पट्टे की मूल अथवा प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है। किन्तु आलोच्य पट्टे के विवरण एवं उसके जारी होने के तथ्य को दोनों ही पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है।
2. याचिकाकर्ता द्वारा यह आक्षेप प्रस्तुत किया गया है कि आलोच्य पट्टे से संबंधित भूखण्ड ग्राम पंचायत कोटडी के खसरा संख्या 41 किस्म बारानी दोयम में अवस्थित है, जो कि गैर आबादी भूमि है तथा जिसे आवंटित करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीपक्ष ने इसका खण्डन करते हुए उक्त भूमि को आबादी भूमि खसरा संख्या

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर वाली (पाली)

अति. जिला कलक्टर वाली (पाली)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 198/2024
उनवान : भलाराम बनाम विनोद कुमार अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

41/621 में अवस्थित बताया है, जो कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के रुप में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा याचिका के सलंग्न तथा सुनवाई के दौरान किसी भी स्तर पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा प्रमाणित नज़री नक्शा, सीमांकन रिपोर्ट आदि प्रस्तुत नहीं किया है जो उनके इस तर्क को साबित कर सके कि प्रश्नगत भूखण्ड खसरा संख्या 41/621 किस्म गै.मु.आबादी में स्थित न होकर खसरा संख्या 41 किस्म बारानी दोयम में अवस्थित है। अतः दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में प्रार्थी के उपरोक्त तर्क के संबंध में कोई निष्कर्षात्मक टिप्पणी किया जाना संभव नहीं है।

3. प्रार्थी द्वारा जेर निगरानी आलोच्य संकल्प एवं पट्टे के विरुद्ध यह आक्षेप प्रस्तुत किया गया है कि पट्टे हेतु आवेदन, तथा आदेशिकाओं में दिनांक व हस्ताक्षरों का अभाव है तथा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के आज्ञापक प्रावधानों की पूर्णतः अवहेलना की गई है। अप्रार्थीपक्ष ने ज़ाहिर किया है कि उक्त आक्षेप निराधार है क्यों कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.01.2006 को ग्रामपंचायत में आवेदन किया गया था जिसकी रसीद संख्या 1259 जारी की गई। साथ ही, आदेशिकाओं इत्यादि पर सरपंच के हस्ताक्षर तथा दिनांक भी अंकित है।

इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मिसल संख्या 46/2005–06 को अवलोकन से प्रार्थी का तर्क अक्षरशः सिद्ध होता है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 08.04.2025 को फहरिस्त दस्तावेज के साथ मिसल की अप्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत कर अपने तर्क की पुष्टि का प्रयत्न किया। अप्रार्थी ने दिनांक 22.04.2025 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 पेश कर यह कथन भी किया कि उनके पास उपलब्ध मिसल की फोटाप्रतियों में सरपंच के हस्ताक्षर है तथा इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड मिसल संख्या 46/2005–06 विरोधाभाषी एवं कूटरचित है।

प्रथमतः तो अप्रमाणित दस्तावेज न्यायालय में साक्ष्य के रुप में ग्राह्य नहीं है। द्वितीयतः उक्त फोटोप्रतियों पर ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में कभी प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने की भी मुहर दृष्टिगत नहीं है। अर्थात् अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति दस्तावेज कभी भी ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित करके जारी नहीं किए गए है।

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि प्रार्थी के कथनानुसार उक्त फोटोप्रति दस्तावेज सही है तो ग्राम पंचायत की मिसल की अप्रमाणित प्रतियां अवैध रुप से अप्रार्थी के पास कैसे उपलब्ध हुई? उक्त तथ्य अपने आप में इन फोटोप्रति दस्तावेजों को संदिग्ध करार देने हेतु पर्याप्त है। इन अप्रमाणित फोटोप्रतियों के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड को चुनौति नहीं दी जा सकती। इसी आधार पर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दो प्रार्थना पत्र पूर्व आदेश क्रमशः दिनांक 21.05.2025 एवं 03.06.2025 के द्वारा खारिज किए गए थे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

P.T.O.

पंचायत निगरानी संख्या : 198/2024

उनवान : भलाराम बनाम विनोद कुमार अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

4. उपरोक्त विश्लेषण उपरांत यह प्रश्न शेष रहता है कि " क्या मिसल संख्या 46/2005–06 में आलोच्य पट्टा जारी करने के संबंध में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के आज्ञापक प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पालना की गई?"

इस संबंध में ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा प्रेषित मिसल संख्या 46–2005–06 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिससे निम्नलिखित तथ्य उभरकर सामने आते है:–

(i) मूल मिसल में अप्रार्थी का पट्टे हेतु कोई आवेदन तथा रसीद सलंग्न नहीं है।

(ii) मिसल के सलंग्न आदेशिकाओं में किसी भी आज्ञा पर न तो दिनांक अंकित है और न ही सरपंच अथवा सचिव के हस्ताक्षर अंकित है।

(iii) आदेशिका की अन्तिम आज्ञा में ज़रिए रसीद संख्या 91 दिनांक 18.11.2019 राशि 627 रुपये मात्र जमा करवा कर भूमि विक्रय विलेख (पट्टा) बुक नम्बर 10 में पट्टा संख्या 29 जारी करने का निर्णय अंकित है। किन्तु उक्त आदेशिका पर भी दिनांक तथा सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर का अभाव है।

(iv) आबादी भूमि निरीक्षण प्रपत्र पर न तो आवेदक अप्रार्थी के हस्ताक्षर है एवं न ही उक्त निरीक्षण प्रपत्र सचिव अथवा सरपंच द्वारा हस्ताक्षरित है।

(v) राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 के अन्तर्गत जारी होने वाले आपत्ति इश्तिहार पर न तो दिनांक अंकित है, न ही उक्त आपत्ति इश्तिहार पर सरपंच अथवा सचिव के हस्ताक्षर ही है। आपत्ति इश्तिहार की पुष्ट पर चस्पानगी के प्रमाण के रुप में दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है।

महत्वपूर्ण है कि बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अंकित विवरण अनुसार ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.08.2019 द्वारा अन्य मिसलों के साथ साथ हस्तगत मिसल संख्या 46/2005–06 में आपत्ति इश्तिहार जारी करने का निर्णय लिया गया था किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड मिसल संख्या 46/2005–06 में दिनांक 05.08.2019 अथवा उसके पश्चात भी कोई आपत्ति इश्तिहार जारी होना नहीं पाया गया।

उपरोक्त विश्लेषण अनुसार स्पष्ट होता है कि ज़ैर निगरानी आलोच्य मिसल संख्या 46/2005–06 में अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित भूमि विक्रय विलेख के संबंध में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 09 में विहित आज्ञापक प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। ऐसा भूमि विक्रय विलेख (पट्टा) विधि की दृष्टि में 'प्रारंभत से ही शून्य' **(ab initio void)** है तथा उपपंजीयक कार्यालय से पंजीकृत करवा देने मात्र से न तो उसकी वैधता प्रमाणित होती है और न ही ऐसे पट्टे के विरुद्ध पुनरीक्षण का इस न्यायालय का अधिकार सीमित होता है।

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 198/2024
उनवान : भलाराम बनाम विनोद कुमार अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा अप्रार्थी श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मेघाराम जी के पक्ष में मिसल संख्या 46/2005–06 में निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या 29 दिनांक 18.11.2019 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत कोटडी को पुनप्रेषित करते हुए निर्देश दिए जाते है कि मिसल संख्या 46/2005–06 के मूल रिकॉर्ड पर लाल स्याही से बड़े अक्षरों में 'निरस्त' का अंकन किया जाए तथा अप्रार्थी से मूल पट्टा प्रति प्राप्त कर इस पर भी तद्नुरुप 'निरस्त' अंकन करना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही, विकास अधिकारी प.स. देसूरी को भी निर्देश दिए जाते है कि निर्णय की दिनांक से एक माह के भीतर एक बहुसदस्यीय जांच समिति गठित कर मौजा गुड़ा पृथ्वीराज के खसरा संख्या 41 एवं 41/621 में उक्त सरपंच के कार्यकाल में जारी समस्त पट्टो की विस्तृत जाँच तथा विधि विरुद्ध अवैध पट्टा हस्ताक्षर कर जारीन करने के आधार पर जारी ऐसे पट्टों को निरस्त करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। विकास अधिकारी को खसरा संख्या 41 एवं 41/621 के सीमांकन हेतु तहसीलदार देसूरी को पृथक से पत्र जारी करने के भी निर्देश दिए जाते है।

विकास अधिकारी प.स. देसूरी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि निरस्त किए गए भूमि विक्रय विलेख संख्या 29 दिनांक 18.11.2019 के समय पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी तथा सरपंच के विरुद्ध अवैध पट्टा हस्ताक्षर कर जारी करने के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर निर्णय की तिथि से एक माह के भीतर पालना प्रेषित करें।

निर्णय आज दिनांक **04.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

दिनांक :

क्रमांक/कोर्ट/2025/
प्रतिलिपि :– निम्न को पालनार्थ प्रेषित है।
1. विकास अधिकारी पंचायत समिति, देसूरी
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कोटड़ी, पंचायत समिति देसूरी जिला पाली राज.

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner